कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर
+2 अतिथि शिक्षक हेतु आवश्यक सूचना

कॉन्सिलिंग स्थान – तिरहुत एकेडमी, समस्तीपुर।
दिनांक – 26.06.2018 से 30.06.2018 तक।
समय – 11.00 पूर्वाह्न से 3.30 अपराह्न तक।

सभी अभ्यर्थी कैम्प स्थल पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होंगे–

1. डाक द्वारा भेजे गये रसीद की मूल प्रति।
2. प्रमाण–पत्र सत्यापन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को मैट्रिक का मूल प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र का मूल प्रति लाना अनिवार्य है।
3. प्रशैक्षणिक योग्यता (बी0एड0) से संबंधित संस्थान की NCTE से मान्यता का प्रमाण–पत्र।
4. आवासीय प्रमाण–पत्र।
5. निःशक्तता एवं जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
6. शपथ–पत्र (सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की सत्यता) से संबंधित।
7. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का चयन उपरांत बी0एड0 प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करा लिया जाएगा।
8. सभी अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति एक फोल्डर में स्पष्ट नाम व पता के साथ लाना है।
9. 04 (चार) रंगीन फोटो (पासपोर्ट आकार का) लाना अनिवार्य है।
10. प्रमाण–पत्र सत्यापन में आवेदक को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
11. निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भविष्य में दावा मान्य नहीं होगा।
12. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को दिये जाने वाले आरक्षण प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. सेवानिवृत्त शिक्षक होने की स्थिति में विनिर्दिष्ट विषय में +2 स्तरीय शिक्षक होने का साक्ष्य लाना आवश्यक है।
14. प्रमाण–पत्र सत्यापन में सम्मिलित होना अतिथि शिक्षक के पद हेतु अंतिम रूप से चयनित होने की कोई गारंटी नहीं होगी।
15. मेधा सूची में टंकनीय अथवा मानवीय भूल प्रकाश में आने पर आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगी। अभ्यर्थियों के सभी दावे विभागीय निर्देशों / पत्रों / संकल्पों के अनुरूप ही स्वीकार किये जायेंगे।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(मा0शि0), समस्तीपुर